

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-250/2024

रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-PC/V/2009/ACP/2 dt. 10.06.2009 (RBE No. 101/09) के अनुपालन में MACP योजना के तहत सुयोग्यता जाँच में सफल एवं DAR/SPE/Vig. मामले से मुक्त रहने के उपरांत वाणिज्य विभाग/पूमरे/हाजीपुर में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये पे लेवल (ग्रेड पे) में वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान निम्न प्रकार किया जाता है :-

Sl.No.	Name (Sri)	Designation /Pay Level	Place of Working	MACP w.e.f.		Remarks
				Pay Level	Date	
1	Nemat Ali	PS-II, Level-7	PCCM Office, HJP	Level-8	30.07.2024	3rd MACP
2	Rakesh Kumar	PS-II, Level-7	PCCM Office, HJP	Level-8	30.07.2024	3rd MACP
3	Deepak Kumar	CLA, Level-7	PCCM Office, HJP	Level-8	11.07.2024	1st MACP
4	Md. Akhtar Hussain	CCI, Level-7	PCCM Office, HJP	Level-8	07.07.2024	3rd MACP

उपरोक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मचारी को वरीयता आदि का कोई अतिरिक्त लाभ दिय नहीं होगा तथा ये अपनी अगली पदोन्नति मूल वरीयता के अनुसार पायेंगे, कर्मचारी का पदनाम भी यथावत रहेगा।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० PC-VII/2016/L/2 दिनांक-31.07.2017 (RBE No. 79/2017) के अनुपालन में यदि कर्मचारी वेतन निर्धारण निचले वेतनमान की अगली वार्षिक वेतनवृद्धि तिथि से कराना चाहते हो तो वे अपना विकल्प एक माह के अन्दर इस कार्यालय को दें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

Signed by

Manoj Kumar Choudhary

Date: 24-10-2024 15:54:36

(एम के चौधरी)

सकाधि/ ईएसएम

कृते महाप्रबंधक/ कार्मिक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुवाप्र/पूमरे/हाजीपुर
2. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर
3. सकाधि/बिल
4. अभिलेख प्रति।
5. संबंधित कर्मचारीगण।